पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 24 जुलाई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में चिकित्सा शिक्षा विभाग की अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में

वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–31 के अंतर्गत राजस्व लेखा में कुल रू0 237639.94 लाख तथा पूँजी लेखा में रू0 114904.86 लाख अर्थात कुल रू0 352544.80 लाख का बजट प्राविधान था। वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। शासनादेश के प्रस्तर–2(18)(क) में यह व्यवस्था है कि '' बजट मैनुअल के पैरा–94 के अंतर्गत जारी स्वीकृतियों का विवरण मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।''

बजट मैनुअल के प्रस्तर–94 के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने की निम्नलिखित व्यवस्था है:–

4) जहॉ परियोजना/योजना अथवा सेवा की कुल लागत रू0 10 करोड से अनधिक हो अथवा धनराशि डिक्री का भुगतान करने के लिये अपेक्षित हो वहॉ विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
5) जहॉ धनराशि रू0 10 करोड़ से अधिक परन्तु रूपये 25 करोड़ से अनधिक हो वहॉ विभागीय मंत्री का तथा वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
6) जहॉ धनराशि रू0 25 करोड़ से अधिक हो वहॉ विभागीय मंत्री तथा वित्त मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–31 के पूजी लेखा के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि कुल रू0 114904.86 लाख के सापेक्ष रू0 25614.50 लाख की वित्तीय स्वीकृतियों पैरा–94 के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की गयी।

सैनिक स्कूल, मैनपुरी की स्थापना हेतु
वित्तीय स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन

सैनिक स्कूल, मैनपुरी की स्थापना हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–94 के अन्तर्गत रू0 10.00 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है। प्रश्नगत निर्माणाधीन परियोजना हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा 02 चरण में मूल्यांकन करते हुए पुनरीक्षित लागत रू0 10322.08 लाख मूल्यांकित की गयी है, जिसके सापेक्ष अद्यतन रू0 6952.94 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2018/बी0–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30–03–2018 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया है कि प्रशासकीय विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में पैरा–94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

तत्क्रम में प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत रू0 10.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

कुम्भ मेला, 2019 के अन्तर्गत 04 अखाड़ों में श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराने का निर्णय

- संगम पर प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुम्भ तथा 06 वर्ष पर कुम्भ का आयोजन किया जाता है। शेष 10 वर्षो में माघ मेले का आयोजन किया जाता है।
- अखिल भारतीय अखाडा परिषद के अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन का अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करने के साथ–साथ जनसाधारण को भी इनके संबंध में शिक्षित और जागरूक करते है।
- इलाहाबाद में अवस्थित अखाड़े कुम्भ में भारतीय धर्म एवं संस्कृति के संवाहक होते है और जनमानस में अपनी अमिट छाप छोडते है, जिससे देश–विदेश में भारतीय संस्कृति एवं अध्यामिकता का प्रचार–प्रसार होता है। अखाड़ों द्वारा दी जा रही नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति में उनके महत्वपूर्ण योगदान एवं उनकी महत्ता के दृष्टिगत अखाड़ों में श्रद्धालु व जनसमुदाय के लिये मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की समुचित स्थायी व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।
- कुम्भ मेला हेतु जनपद इलाहाबाद में अवस्थित 04 अखाड़ो के पास स्वंय की भूमि उपलब्ध है। उन अखाड़ों में श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि रू0 519.95 लाख के कार्य कुम्भ मेले के प्रस्तावित बजट से किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन निवेदित है।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में सेन्टर ऑफ हिपैटोबिलियरी डिजीजेज एवं लिवर ट्रान्सप्लान्ट यूनिट के भवन निर्माण में उच्च विशिष्टियों के सम्बन्ध में

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सेन्टर ऑफ हिपैटोबिलियरी डिजीजेज एवं लीवर ट्रान्सप्लान्ट यूनिट हेतु भवन के निर्माण हेतु मूल परियोजना रू0 2667.20 लाख की लागत पर अनुमोदित थी। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.02.2011 में प्रायेाजना की पुनरीक्षित लागत रू0 6242.82 लाख अनुमोदित की गयी। पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 28.02.2011 द्वारा निर्गत की गयी। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष प्रायोजना के निर्माण कुल रू0 5921.18 की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवमुक्त धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जा चुका है।

श्रमिक एवं सामग्री की दरों में वृद्धि, कतिपय कार्य मदों–रोड, पोलीकार्बोनेट सीट, फाल्स सीलिंग, ग्रेनाईट आदि की मात्राओं में परिवर्तन तथा कतिपय नवीन कार्यो–अल्युमीनियम लुवर्स, Pivot टाइल्स, टफेन ग्लास डोर, एपोक्सी फ्लोरिंग एवं एस0एस0 नोजिंग के नवीन कार्यो को सम्मिलित किये जाने के कारण प्रायोजना का पुनः पुनरीक्षित आगणन रू0 6719.01 लाख प्रस्तुत किया गया। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.05.2018 में पुनः पुनरीक्षित आगणन रू0 6719.01 लाख के सापेक्ष रू0 6716.45 लाख की लागत पर मूल्यांकित करते हुए अनुमोदित किया गया है। व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों–यथा अल्युमीनियम लुवर्स, Pivot टाइल्स, एपोक्सी फ्लोरिंग, टफेन ग्लास डोर, फाल्स सिलिंग, ग्रेनाईट पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने का परामर्श दिया गया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, मीरजापुर की प्रायोजना का व्यय प्रस्ताव अनुमोदित

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–2) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 08 समूहों तथा 03–03 संसदीय क्षेत्रों में से 01–01 मेडिकल कालेज का चयन राज्य सरकार द्वारा Challenge Mode एवं निर्धारित मानकों के आधार पर चयन किया गया है। केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अंतर्गत समूह–8 में जनपद–मीरजापुर का चयन जिला चिकित्सालय (क्षेत्रफल 10.27 एकड़) को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु किया गया है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशि 60:40 के अनुपात में वहन की जायेगी।

राजकीय मेडिकल कालेज, मीरजापुर की स्थापना हेतु ग्राम–पिपराडाड़ तथा ग्राम–विसुन्दरपुर स्थित कृषि विभाग की लगभग 10 एकड़ भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय, मीरजापुर के वर्तमान क्षेत्रफल 10.27 एकड़ एंव अतिरिक्त भूमि 10.00 एकड़ को सम्मिलित करते हुए कुल 20.27 एकड़ भूमि राजकीय मेडिकल कालेज, मीरजापुर हेतु उपलब्ध हो गयी है।

मेडिकल कालेज, मीरजापुर के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। मेडिकल कालेज, मीरजापुर के निर्माण हेतु आगणन की लागत रू0 267.07 करोड़ का परीक्षण व्यय वित्त समिति की दिनांक 12.07.2018 को सम्पन्न बैठक में रू0 232.9728 करोड़ कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित करते हुए उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन का परामर्श दिया है।

मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.07.2018 को राजकीय मेडिकल कालेज, मीरजापुर के शिलान्यास के दृष्टिगत प्रायोजन पर मा0 मंत्रि–परिषद के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए वित्त विभाग की सहमति के फलस्वरूप अनुमोदित लागत रू0 232.9728 करोड़ पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या–20/2018/540/71–3–2018–एन0एम0–01/2018, दिनांक 14.07.2018 द्वारा रू0 50.00 करोड़ केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

जनपद–मीरजापुर में मेडिकल कालेज की स्थापना से न केवल मीरजापुर के निवासियों को सुविधा होगी अपितु एन0एच0–7 पर स्थित होने के कारण जिला–सोनभद्र, भदोही, चन्दौली व इलाहाबाद के निवासी भी लाभान्वित हो सकेगें इससे वाराणसी स्थित ट्रामा सेन्टर तथा मेडिकल कालेज के बोझ में कमी आयेगी।

उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए विद्यमान पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्र आदि को अद्यतन करने के उद्देश्य से **उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975** के नियम–18 (परिशिष्ट–छ), नियम–20 (परिशिष्ट–छ(1)) तथा नियम–21 (परिशिष्ट–ज) में संशोधन (नियमावली का तेरहवॉ संशोधन) किया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए कन्सलटेन्ट के चयन एवं परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में

भारत सरकार के स्ट्रैटेजिक प्लान के अनुसार वर्ष 2022 तक कम से कम 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों का पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करके कम से कम 80 प्रतिशत परिवारों को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति किया जाना है। प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप वाटर सप्लाई से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पेयजल दिये जाने के दृष्टिगत अभी तक पाइप पेयजल योजनाओं से अनाच्छादित ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 86000 करोड़ की आवश्यकता का प्रारम्भिक अनुमान है। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 2660 ग्रामों की लगभग 45 लाख आबादी एवं विन्ध्य क्षेत्र के 1880 ग्रामों की लगभग 35 लाख आबादी पाइप पेयजल योजना से आच्छादित नहीं है। इसी प्रकार से आर्सेनिक/ फ्लोराइड जापानी इन्सेफलाइटिस (जे.ई.) /एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (ए.ई.एस.) तथा अन्य अशुद्धियों से प्रभावित लगभग 3700 ग्रामों की लगभग 75 लाख आबादी पाइप पेयजल योजना से आच्छादित नहीं है। उक्त के दृश्टिगत प्रदेश के बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र, आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित तथा जे.ई./ए.ई.एस. प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 6240 ग्रामों की लगभग 01 करोड़ 55 लाख आबादी हेतु अनुमानित लागत रू0 14,800.00 करोड़ की योजनाएं तैयार किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे इन क्षेत्रों में भुद्ध पेयजलापूर्ति हो सके और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जनता को हो रही परेशानियों को दूर किया जा सके। प्रश्नगत कार्य–योजना के परिप्रेक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ गुणता एवं न्यूनतम लागत वाले कन्सलटेन्ट का चयन खुली निविदा के माध्यम से क्वालिटी एण्ड कास्ट बेस्ड सलेक्शन (क्यू0सी0बी0एस0) के आधार पर कराया जाना है। अपेक्षित धनराशि का बजटीय प्राविधान चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में नई मांग के प्रस्ताव के माध्यम से कराया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना के संचालन के निमित्त कन्सलटेन्ट आदि की फीस की व्यवस्था योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में नई मांग के प्रस्ताव के माध्यम कराए जाने वाले बजट व्यवस्था से की जाएगी।

———————————